न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

.प्रकरण संख्या 92/2018

अनवान

1. श्री रूगनाथ आत्मज श्री भवाना दरोगा निवासी खैराबाद तह हमीरगढ जिला–भीलवाडा (राज.)।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री रामचन्द्र पुत्र श्री गणेश तेली नि. खैराबाद तह हमीरगढ जिला–भीलवाडा(राज.)
2. श्री भैरू लाल पुत्र श्री गणेश तेली नि. खैराबाद तह हमीरगढ जिला–भीलवाडा(राज.)
3. डंकार लाल पुत्र श्री दामोदर शर्मा नि. खैराबाद तह हमीरगढ जिला–भीलवाडा(राज.)
4. आशीष कुमार शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा नि–419–बी शास्त्रीनगर, भीलवाडा(राज.)
5. देवा पुत्र श्री नानू गाडरी नि. खैराबाद तह हमीरगढ जिला–भीलवाडा(राज.)।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 18–02–2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भूँ–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 03–10–2018 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम खैराबाद पटवार हल्का खैराबाद भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र खैराबाद तहसील हमीरगढ में उसके खाते की खाता संख्या 524 की कृषि भूमि की आ.न. 679 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 1 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 03–01–2018 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 लगायात 05 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम खैराबाद पटवार हल्का खैराबाद भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र खैराबाद तहसील हमीरगढ में उसके खाते की खाता संख्या 524 की कृषि भूमि की आ.न. 679 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 1 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 600/– पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/–रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 18.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.02.25 11:48:15 IST
Reason: SelfAttested

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ, भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner